संचिका सं0–7/PMI -49-15/2026-27......204 (7B)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 15/04/2026

विषय:– वित्तीय वर्ष 2026–27 में पारामेडिकल संस्थान, रेफरल अस्पताल, घोसी, जहानाबाद में विभिन्न पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 4,95,000/– (रूपये चार लाख पन्चानवे हजार) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1017(1), दिनाक–30.11.2022 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में पारामेडिकल संस्थान, रेफरल अस्पताल, घोसी, जहानाबाद मे विभिन्न पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 4,95,000/– (रूपये चार लाख पन्चानवे हजार) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन माग स0–20 के अतर्गत स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–105–एलोपैथी, उपशीर्ष–0064–पारामेडिकल सस्थान, रेफरल अस्पताल, घोसी, जहानाबाद, विपत्र कोड–20-2210-05-105-0064 अतर्गत छात्रवृति/वजीफा (34–01) मद मे उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, पारामेडिकल संस्थान, रेफरल अस्पताल, घोसी, जहानाबाद, होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, मगध प्रमंडल, गया होगे।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एव स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक मे राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए सबधित छात्रो को उपलब्ध करायेंगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, जहानाबाद से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि(2), दिनांक–17.04.1998 के प्रावधानो के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक मे व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।

(8) प्रारूप मे सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका स०–7/PMI -49-15/2026-27 के पृष्ठ–04/टि० पर प्राप्त है।

(9) इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) सबधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है ।

विश्वासभाजन,

15/4/26

(शभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 7/PMI -49-15/2026-27...204(7B) /स्वा0, पटना, दिनांकः– 15/04/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/क्षेत्रीय अपर निदेशक, मगध प्रमंडल, गया/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्राचार्य, पारामेडिकल संस्थान, रेफरल अस्पताल, घोसी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/4/26

सरकार के अपर सचिव